



ISSN Print: 2394-7500
 ISSN Online: 2394-5869
 Impact Factor: 5.2
 IJAR 2017; 3(6): 1195-1197
 www.allresearchjournal.com
 Received: 30-04-2017
 Accepted: 31-05-2017

राजेश कुमार यादव

सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग,
 रतनसेन डिग्री कॉलेज बॉसी
 सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत।

तहसील मनकापुर (जनपद-गोण्डा) में भूमि उपयोग प्रतिरूप का एक भौगोलिक अध्ययन

राजेश कुमार यादव

मानव सभ्यता के विकास के प्रथम सोपान से लेकर वर्तमान तक अनेकानेक वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं तकनीकी सुविधाओं से सम्पन्न मानव सभ्यता के मूल में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव प्राकृतिक एवं मानवीय परिवेश से सामंजस्य स्थापित करते हुए भूमि संसाधन का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि किसी स्थान विशेष के भूमि उपयोग की विभिन्न अवस्थाएँ उस क्षेत्र विशेष की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का द्योतक होती है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में सभी उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए सतत् नवीन तकनीकी ज्ञान का विकास किया जा रहा है। 'बेन्जेटी' के अनुसार— भूमि उपयोग प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक उत्पादनों संयोग का प्रतिफल है।

अध्ययन क्षेत्र— मनकापुर तहसील विश्व के प्राचीनतम आर्य सभ्यता के केन्द्र, गंगा मैदान के मध्यवर्ती भाग में स्थित उ०प्र० के गोण्डा जनपद का एक प्रशासनिक सम्भाग है जो जनपद के पूर्वी भाग में अवस्थित है जिसका भौगोलिक विस्तार 26°-50' उ० से 27°-6' उ० अक्षांश एवं 82°-05' पूर्वी देशान्तर से 82°-45' पूर्वी देशान्तर तक विस्तृत है। कुवानों, विसुही, मनोरमा, चमनई आदि मौसमी नदियों ने इसके प्रशासनिक सम्भागों को भी सिमाकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। सम्पूर्ण तहसील का क्षेत्रफल 694.5 वर्ग किमी है, जिसका उत्तर-दक्षिण विस्तार 25 किमी० एवं पूरब से पश्चिम विस्तार 40 किमी० है। अध्ययन क्षेत्र का आकृति लगभग आयताकार है। अध्ययन क्षेत्र में 3 विकासखण्ड और 32 न्याय पंचायतें हैं अध्ययन क्षेत्र में कुल 530439 जनसंख्या निवास करती है जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 277915 तथा स्त्रियों की संख्या 252524 है।

भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक— भूमि सीमित होने के कारण उसके क्षेत्रफल में न तो वृद्धि की जा सकती और न ही कमी। इसलिए भूमि को प्रभावित करने वाले कारक यह निर्धारित करते हैं कि एक उपयोग की मात्रा घटने पर दूसरे उपयोग की मात्रा स्वतः घट जाती है। इसके उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं।

1. **भौतिक कारक—** इसके अर्न्तगत भूमि पर वे समस्त प्राकृतिक तत्व समाहित हैं जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है जैसे—जलवायु, धरातल मिट्टीयों प्रवाह प्रणाली आदि।
2. **मानवीय कारक—** ये कारक भूमि के विभिन्न उपयोग को प्रभावित एवं नियमित करते हैं। सामाजिक, राजनिक, आर्थिक औद्योगिक आदि तत्व मानवीय पर्यावरण को नियोजित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन आता है।
3. **आर्थिक कारक—** भूमि पर जनसंख्या का निरन्तर दबाव बदलते दौर की विभिन्न आवश्यकताएँ, नये तकनीकी विकास, यातायात के साधन खनिज संसाधन, विषवन सुविधायेँ आदि कई आर्थिक तत्व हैं जो भूमि उपयोग को सीधा प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के अबाध गति के कारण प्रतिव्यक्ति बोया गया कृषि क्षेत्र कम होता जा रहा है। कृषि में मशीनीकरण, नवीन कृषि, प्रद्योगिकी, हरितक्रान्ति कृषि पैकेज कार्यक्रम को अपनाने के कारण भूमि उपयोग प्रतिरूप बदल रहा है। परती भूमि का क्षेत्रफल घट रहा है, जबकि शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र बढ़ रहा है। विगत कुछ वर्षों में व्यावसायिक फसलों में वृद्धि हुयी है।

भूमि उपयोग का क्षेत्रीय विवरण— मानव भूमि का उपयोग अनेक प्रकार से करता चला आ रहा है। प्रारम्भिक अवस्था में भूमि वनस्पति विहीन या वनस्पति के घेरे से अच्छादित है।

Correspondence

राजेश कुमार यादव

सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग,
 रतनसेन डिग्री कॉलेज बॉसी
 सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत।

मानव उसे कृषि योग्य बनाकर एक फसली एवं बहुफसली क्षेत्र में परिवर्तित करता है। अध्ययन क्षेत्र को भूमि उपयोग सर्वण समान नहीं है। भूमि उपयोग उपरोक्त के आधार पर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि बंजर, शुद्ध कृषिगत भूमि, एवं वन क्षेत्र के

अर्न्तगत किया गया है। तहसील के कुल 68573.85 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 80.13: कृषिगत भूमि 12.25: कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 5.66: कृषि बंजर 1.96: वन भूमि है। जो तालिका से स्पष्ट है—


मनकापुर तहसील में भूमि उपयोग विवरण

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	1991 क्षेत्रफल हे० में	2011 क्षेत्र हे० में	तहसील के कुल क्षेत्र : 1991	तहसील के कुल क्षेत्र : 2011	परिवर्तन
1.	कृषि भूमि	53364.17	54948.22	77.82	80.13	+2.96
2.	कृषि बंजर	8276.86	3881.28	12.07	5.66	-53.11
3.	कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि	5410.48	8400.30	7.89	12.25	+55.26
4.	वन	1522.34	1344.05	2.22	1.96	-11.71
	योग	68573.85	68573.85	100.00	100.00	

शुद्ध कृषिगत भूमि— भूमि उपयोग का भौगोलिक विश्लेषण में कृषिगत भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। वर्ष 2001 में शुद्ध कृषिगत क्षेत्र का 77.82: या 53364.17 हेक्टेयर था जो वर्ष 2018 में बढ़कर 80.13: या 54948.22 हे० हो गया। इस प्रकार इस अन्तराल में 2.97: वृद्धि देखने को मिलती है। शुद्ध कृषिगत क्षेत्र को प्रभावित करने के वाले विभिन्न कारकों में क्षेत्रीय विविधता के

कारण न्याय पंचायत स्तर पर इसके विवरण में अत्यधिक भिन्नता मिलती है। जो मानचित्र से स्पष्ट है।

वर्ष 2018 में शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल 92.74: वलनीपुर न्यायपंचायत में तथा न्यूनतम 61.67: अशरफपुर माफी न्यायपंचायत के अर्न्तगत मिलता है। इस प्रकार सम्प्रति क्षेत्र के जलाप्लावन, सिंचाई के अभाव, अनुपजाऊ मृदा परम्परागत कृषि पद्धति आदि कारकों से प्रभावित है।




कृषि बंजर भूमि— इस स्वर्ग में कृषि योग्य बंजर, चारागाह उधान एवं पुरानी परती तथा नयी परती आदि आते हैं। अध्ययन क्षेत्र में ऐसी वृद्धि बंजर भूमि जो प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव के कारण कृषि नहीं हो पाती, लेकिन भविष्य में अनुकूल परिस्थितियों के अनुकूल होने पर कृषिगत भूमि हो सकती है, को भी इस श्रेणी में रखा गया है। कृषि बंजर भूमि के विभिन्न पक्षों के अर्न्तगत 1991 में 1917.75 हे० या अध्ययन क्षेत्र का 2.79: भूमि वर्ष 2011 में 877.95 हेक्टेयर या 1.28: बाग एवं झाड़ियों के अर्न्तगत है। वर्ष 2001 के पश्चात् क्रमशः जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्यान्न की पूर्ति के लिए कृषि कार्यों में तकनीकी विकास करके खाद्यान्न तथा अन्य मांगों की पूर्ति की गयी जिससे क्रमशः भूमि में ह्रास मिलता है।

न्याय पंचायत स्तर पर कृषि बंजर भूमि वितरण स्पष्ट करने के लिए सम्प्रति क्षेत्र को पाँच श्रेणियों में बाँट कर किया गया है। वर्ष 2011 में बाढ़ क्षेत्रों में अधिकता एवं जल प्लावन के अतिरिक्त कृषि प्राविधिकी एवं सिंचाई के साधनों के विकसित न होने के

कारण कृषि बंजर भूमि की अधिकता थी। लेकिन बाद में कृषि प्राविधिकी में राज्य सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं के कारण तथा जल प्लावित क्षेत्रों को बाँध के सहारे रोकने के कारण सम्प्रति क्षेत्र के कृषि बंजर भूमि अधिकांशतः कृषि भूमि में परिवर्तित हो गयी जो मानचित्र में स्पष्ट है।

वन क्षेत्र— वन भूदृश्य का महत्वपूर्ण जीवीय संसाधन है जिसकी संसाधनता मानव की आवश्यकताओं न योग्यताओं में निहित है। मनकापुर तहसील में उष्णकटिबन्धीय मानसूनी प्रकार के वन पाये जाते हैं। इसमें आम, महुआ, जामुन ईमली, साखू, शीशम, सागौन, यूकेलिप्टस, बबूल, नीम, अर्जन आदि प्रमुख हैं। मनकापुर तहसील का वर्ष 1991 में सम्पूर्ण भू-क्षेत्र का 2.22: वनों द्वारा आच्छदित है। किन्तु 2011 11.71: व ह्रास के कारण 1.96: वन शेष बचा है। जिसका प्रमुख कारण है कृषि क्षेत्रों में विस्तार करके वनों को साफ किया जा रहा है।



कृषि के लिए अनुउपलब्ध भूमि— कृषि के लिए अनुउपलब्ध भूमि के अर्न्तगत अध्ययन क्षेत्र के उन भू-भागों को रखा जाता है। जो भूमि मृदा के दृष्टिकोण से उपजाऊ होते हुए भी कृषि के लिए उपलब्ध नहीं होती है। अध्ययन क्षेत्र के सन्दर्भ में कृषि के लिए अनुउपलब्ध भूमि का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 1991 एवं 2011 के आकड़ों को आधार माना गया है। वर्ष 1991 में तहसील का 7.89: भाग कृषि के लिए अनुउपलब्ध था जबकि वर्ष 2011 में 12.25: हो गया। अर्थात् उपर्युक्त अवधि में कृषि के लिए अनुउपलब्ध भूमि में 55.26: का परिवर्तन मिलता है। 1991 में कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि में क्रमशः 3008.23 हेक्टेयर या 4.39: जलाशय के अर्न्तगत 2.56: भाग अधिवास एवं परिवहन मार्ग के अर्न्तगत 0.06: भाग कब्रिस्तान तथा 0.88: भाग अन्य कृषि के लिए अनुउपलब्ध भूमि के अर्न्तगत सम्मिलित था जो 2011 में परिवर्तित होकर क्रमशः 6.49:, 5.22:, 0.11: तथा 0.87: हो गया।

विगत दो दशकों में भूमि उपयोग में हुए परिवर्तन

- वन क्षेत्र में परिवर्तन**— पंचवर्षिय योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अर्न्तगत वन क्षेत्र में श्रृंखानात्मक परिवर्तन हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में 1991 से 2011 के मध्य वन के क्षेत्र में काफी हास देखा गया है जिसमें सबसे अधिक हास मनकापुर विकासखण्ड, बभनजोत विकासखण्ड में देखा गया।
- कृषि के लिए अनुउपलब्ध भूमि में परिवर्तन**— अध्ययन क्षेत्र में अनुउपलब्ध भूमि में काफी परिवर्तन देखा गया। इसके अन्तर्गत दो प्रकार की भूमि शामिल है। एक तो वह भूमि जो कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए उपयोगी होती है जैसे—नहरों, सड़कों, रेलों, कारखानों, नगरों एवं बस्तियों का विकास आदि। जिले में दय प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल निरन्तर बढ़ रहा है। दूसरे प्रकार की बंजर भूमि स्थाई चारागाह एवं अन्य घास भूमि, झाड़ियों के झुण्ड तथा बाग एवं कृषि योग्य बेकार भूमि को सम्मिलित किया जाता है। इस तहसील में ऐसी भूमि में विशेष रूप से परिवर्तन देखी गयी।
- कृषि वंजर भूमि में परिवर्तन**— इस सवर्ग में 1991 सं 2011 के मध्य काफी हास देखा गया। जिसका प्रमुख कारण बढ़ती हुयी जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति हेतु नयी योजनाओं के क्रियान्वयन के कार्यक्रम तथा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की भी योजना रही है।
- शुद्ध कृषि भूमि में परिवर्तन**— अध्ययन क्षेत्र में शुद्ध कृषिगत भूमि में काफी परिवर्तन हुआ है। सिंचाई के सुविधाओं का विकास, भूमि को कृषि कार्य में प्रयोग करना, भूमि सुधार

कार्यक्रम जोत का आकार वैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य करना आदि के द्वारा अध्ययन क्षेत्र में काफी परिवर्तन देखा गया है। इस प्रकार भूमि उपयोग के विवेचना से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में शुद्ध कृषिगत भूमि में वृद्धि की कोई सम्भावना नहीं है बल्कि प्रतिदिन हो रहे विकास एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण इसमें हास की सम्भावनाएँ बढ़ेगी।

संदर्भ—

- “रिपोर्ट आव् दि नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर” कृषि एवं सिंचाई मन्त्रालय, भारत सरकार, भाग-2 1976, पृ0-62
- सी वेनजेटी, 1972 : लैण्ड यूजएण्ड नेचुरल वेजिटेशन डब्लू पीटर एडमस तथा फ्रेडरिक एम0 हेलिनर द्वारा सम्पदित “इंटरनेशनल ज्योग्राफी” टोरन्टो विश्वविद्यालय पृ0 1105-1106
- सिंह, बी0बी0 : भूमि उपयोग क्षमता, अवस्था एवं अनुकूलतम उपयोग, उत्तर भारत भुगोल पत्रिका अंक-7, संख्या-2 1971 पृ0- 85-101